मध्यप्रदेश विधान सभा

जून—अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई, 1990 (श्रावण 2, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की पैंतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1989–90 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार :—

(क) वित्त लेखे, वर्ष 1987-88

(ख) विनियोग लेखे, वर्ष 1987–88

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त वर्ष का, क्रमांक 5 (सिविल) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड क्षेत्र में कीट नाशक पदार्थों की मौजूदगी से बीमारी फैलने के खतरे की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीनारायण यादव, सदस्य, कृषि विभाग एवं मार्कफेड द्वारा अवमानक स्तर की कीटनाशक दवाईयों का क्रय किये जाने की ओर कृषि, सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य:—

(क) जिला छतरपुर के ग्राम हर्रई जो वर्तमान में ग्राम पंचायत पिडवा से संबंधित है, को हटाकर ग्राम पंचायत वारी या निवारी से जोड़े जाने के संबंध में 49 व्यक्तियों की, तथा

(ख) जिला छतरपुर, तहसील नौगांव के ग्राम मुर्खरा में पेयजल सुविधा हेतु हैण्डपंप लगाने के संबंध में 11 व्यक्तियों की

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य:—

(क) जिला रीवा के ग्राम मड़वा की जल प्रदाय योजना को समुचित रूप से प्रारंभ करने के संबंध में 35 व्यक्तियों की,

(ख) जिला रीवा के गुढ़ निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम नर्रहा में स्ट्रीट लाइट, गृह कनेक्शन के संबंध में 32 व्यक्तियों की,

(ग) जिला रीवा के गुढ क्षेत्र के ग्राम नर्रहा में हाई स्कूल भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में 31 व्यक्तियों की,

(घ) जिला रीवा, तहसील रायपुर के कर्चुलियान के ग्राम खरहरी में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के संबंध में 20 व्यक्तियों की, तथा

(ङ) जिला रीवा, तहसील रायपुर कर्चुलियान के ग्राम वकछेरा से खरहरी तक बने कच्चे मार्ग को गिट्टीकरण कराकर पक्का मार्ग निर्माण किये जाने के संबंध में 21 व्यक्तियों की

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 1990-91 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय 5.30 बजे तक

1 घंटा	(1)	मांग संख्या 16—मछलीपालन.
1 घंटा	(2)	मांग संख्या 39—खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित व्यय.
1 घंटा	(3)	मांग संख्या 18—श्रम.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 1990 (क्रमांक 18 सन् 1990) * का पुरःस्थापन करेंगे.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 23 जुलाई 1990.

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.